पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024
उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/538

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
भीकाराम पुत्र चमनाजी चौधरी जाति सीरवी निवासी गिराली, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)	बनाम	1. ग्राम पंचायत ढालोप, पंचायत समिति देसूरी, जिला पाली (राज.) 2. सरपंच, ग्राम पंचायत ढालोप, पंचायत समिति, देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत ढालोप के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी
2. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेव सिंह सोनीगरा।

–:निर्णय:–

दिनांकः 27.01.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पेश कर ग्राम पंचायत ढालोप का प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 को अपास्त करवाने हेतु प्रस्तुत की।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार ग्राम गिराली, ग्राम पंचायत बडौद, तहसील देसूरी में पुराने खसरा नम्बर 48 रकबा 0.02 बीघा भूमि बेरा कणेर के नाम से प्रार्थी के पिता चिमना वल्द लुम्बा व अन्य सहखातेदारों के खातेदारी का बेरा आया हुआ स्थित था। बेरा कणेर वाला ग्राम गिराली के आबादी के पास ही स्थित था जिसके पास में ही बेरा कणेर का जाव आया हुआ स्थित था। बेरा कणेर में प्रार्थी के अलावा भी बहुत सारे खातेदार थे जिनका संयुक्त रुप से खातेदारी हक हकूक बेरा कणेर में था। बेरा कणेर पर प्रार्थी व उनके सहखातेदारो की पैतृक पुश्तैनी कच्चे केलुपोश के मकान आये हुए स्थित थे जो बेरा की जमीन व जाव की जमीन के बीच में थे जिसका उपयोग बेरा कणेर के खातेदारों द्वारा किया जाता रहा है। बेरा के आस पास पुराने जमाने में पशुओ को बांधने के लिए एवं पशुओं के चारा वगैरा इकठ्टा करने आदि की जगह पर भी केलुपोश के ढालिये बने हुये थे इस प्रकार बेरा कणेर के आस पास सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी व उसके पूर्वजों एवं सहखातेदारो के कब्जे की भूमि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)
P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024
उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

से चली आ रही है। हाल ही में सादडी से नाड़ोल जाने वाली सड़क को चौड़ा किया गया तब मौके पर पुराने केलुपोश के मकान एवं ढालिये गिर गये थे एवं जो पत्थर की पट्टिया लगी हुई थी वह भी गिर गयी थी उन सभी को दुरस्त किया गया। चूंकि प्रार्थी के साथ अन्य सहखातेदार ज्यादातर दक्षिणी भारत में व्यवसायिक कार्य से रहते हैं, उनका ग्राम गिराली में आना जाना कम होता है एवं प्रार्थी व उनके बेरा कणेर के आस पास की भूमि की देखरेख व्यवस्था आदि प्रार्थी ही करता है, जिस कारण ग्राम पंचायत ढालोप के वर्तमान सरपंच ने अपने पत्र क्रमांक 134/2024–25 दिनांक 29.07.2024 को एक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की खाली पडी आबादी भूमि सादडी नाड़ोल रोड़ पर सड़क पर पत्थर की पट्टिया रोप कर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिस अतिक्रमण को हटाने हेतु पूर्व में नोटिस क्रमांक 133 दिनांक 31.07.2024 को सात दिवस के दरम्यान अतिक्रमण हटाने हेतु नोटीस जारी किया गया था, परन्तु अतिक्रमण नही हटाया गया। न ही किसी प्रकार का लिखित जवाब अथवा भूमि से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये है जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस क्रमांक 137/2024 दिनांक 03.08.2024 को जारी करते हुए प्रार्थी को सूचित किया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 02.08.2024 के प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में अन्तिम नोटिस 24 घण्टे का जारी कर अतिक्रमण नहीं हटाने पर बैठक के निर्णय अनुसार 1000/–रुपये जुर्माना एवं 50/– रुपये प्रतिदिन शास्ति से दण्डित किया जाएगा। अप्रार्थी गैर सायल द्वारा तारीख 29.07.2024 को नोटिस प्राप्त हुआ जिसका जवाब तारीख 01.08.2024 को प्रार्थी द्वारा पेश किया एवं पूर्व में नोटिस क्रमांक 133 दिनांक 21.07.2024 का विवरण उपरोक्त नोटिस में दिया गया इसके बारे में उल्लेख किया कि पूर्व में प्रार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है एवं साथ में यह भी उल्लेख किया कि बेरा कणेर की जमीन खसरा नम्बर 110, 111, 112 वगैरा कदीम से गिराली से ढालोप सड़क के दोनो तरफ विद्यमान रही है ओर प्रार्थी का कोई नया अतिक्रमण नहीं है बल्कि पीढियों पुरानी कच्चा केलुपोश के मकान थे जिसमे उनका रहवास था पशुओ को बाधते थे जो मकान 1998 की अतिवृष्टि में गिर गये है इस पर ढालिया व चारो तरफ कच्ची दिवारे बनायी गयी थी जो भी वर्ष 2012 में टूटने से छीणो से तीन तरफ दिवार कर लोहे की जाली का गेट लगाकर ताला बन्द किया गया हैं इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है उक्त जवाब तारीख 01.08.2024 को पेश किया जिसकी भरपाई सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को दी गयी। उसके बावजुद प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही देते हुए तारीख 02.08.2024 को प्रस्ताव संख्या 02 पारित करते हुए 1000/– रुपये जुर्माना एवं 50/–रुपये प्रति दिन शास्ति से प्रार्थी को दण्डित करते हुए 24 घण्टे में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त निगरानी याचिका निम्न आधारों पर पेश की है:–

1. ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी पारित करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया इस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा न तो बोर्ड के

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024
उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सदस्यों से कोई मौका रिपोर्ट मंगवाई न ही कोई नक्शा मौके का मंगवाकर अवलोकन किया गया न ही प्रार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया उसके बावजुद एक ही दिन में प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्ताव जैर निगरानी पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।

2. यह, कि प्रार्थी का पैतृक पुश्तैनी बेरा कणेर जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के संयुक्त खातेदारी की वर्तमान जमाबंदी में एवं हाल सेटलमेंट के पूर्व की जमाबंदी में दर्ज रही हैं। हाल सेटलमेंट के पूर्व की जमाबंदी अनुसार बेरा कणेर के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा दर्ज थे। जिस भूमि के हाल सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 133 रकबा 0.0100 हैक्टर दर्ज किया गया है जो पुराने रेकर्ड से आधा दर्ज किया है जिस बाबत प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के न्यायालय में इन्द्राज दुरस्ती हेतु वाद पेश कर दिया है उसके बावजुद प्रार्थी के विरुद्ध जैर निगरानी आदेश पारित कर कार्यवाही की गयी है जो निरस्त योग्य है।
3. यह कि, बेरा कणेर प्रार्थी का पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी का बेरा है जिसका रकबा हाल सेटलमेंट के पूर्व ज्यादा था उसका रकबा कम कर दिया और उसके आस पास आबादी भूमि दर्ज कर दी जिस भूमि पर प्रार्थी का पीढियों पुराना कब्जा रहा है एवं वह भी एक खातेदार की हैसियत से रहा है। उस सेटलमेंट की गलती के आधार पर अप्रार्थी के नाम ज्यादा जमीन दर्ज कर दी उस बाबत कोई सबूत साक्ष्य पेश करने का अवसर नही देते हुए गैर सायल अप्रार्थी ने सरासर गलत व वैमनस्यतापूर्ण कार्यवाही करते हुए आदेश जैर निगरानी पारित किया है जो काबिल खारिज है।
4. यह कि, प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम गिराली में आबादी के पास बेरा कणेर की भूमि है जो सादडी नाड़ोल रोड़ के दोनो तरफ आयी हुई है एवं बेरा कणेर उपरोक्त रोड़ के पश्चिम दिशा की तरफ आया हुआ है एवं बेरे से लगाकर बेरा कणेर की भूमि तक प्रार्थी के पूर्वजों का संयुक्त खातेदारो के रुप में बहैसियत मालिक के 100 वर्षों से अधिक समय से मौके पर भौतिक रुप से कब्जा रहा है एवं कच्चे केलुपोश के मकान व ढालिया वर्षो पुराने बने हुए है जो समय के साथ देखरेख के अभाव में खण्डहर हो गये है उस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट द्वारा गलत इन्द्राज के जरिये कुछ भूमि कम खातेदारी में दर्ज की एवं बाकी भूमि जो प्रार्थी व उनके सहखातेदारों के पीढियों पुरानी कब्जे हक व अधिकार की भूमि रही है जिस भूमि से प्रार्थी को किसी भी कानून के तहत बिना सुनवाई का अवसर दिये बेदखल कानूनन नहीं किया जा सकता है। जहां ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में 40–50 वर्ष पुराने रहवासीय मकान होते है उनको निःशुल्क या राज्य सरकार द्वारा तय शुदा स्थाई शुल्क पर पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजुद नाड़ोल सादडी रोड़ सड़क निकल जाने से गैर सायल की नियत में फर्क आ गया है और उन्होंने प्रार्थी से रंजिशवश प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी भूमि पर

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)
P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024

उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी का अतिक्रमण गैर कानूनी रुप से मानते हुए नोटिस जारी किया एवं प्रार्थी को साक्ष्य सबूत का एवं अपने दस्तावेजो को पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुए आनन–फानन में प्रार्थी को मौके से बेदखल करने की नियत से लगातार नोटिस जारी किये ओर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर प्रस्ताव जैर निगरानी पारित करते हुए प्रार्थी को जुर्माना व प्रतिदिन के शास्ति से दण्डित किया है जो प्रस्ताव सरासर गलत व गैर कानूनी होने से काबिल निरस्त योग्य है।

5. यह कि, गैर सायल के पैतृक पुश्तैनी कब्जे की भूमि से प्रार्थी को हटाने की नियत से सर्वप्रथम नोटिस 133 दिनांक 21.07.2024 को जारी किया जाना बताया गया है जबकि प्रार्थी ने स्पष्ट रुप से दूसरे नोटिस क्रमांक 134 दिनांक 29.07.2024 के जवाब में स्पष्ट लिखा कि प्रथम नोटिस प्रार्थी को मिला ही नही है उसके बावजुद उस नोटिस का दूसरे नोटिस में उल्लेख किया जो गलत है। प्रार्थी द्वारा दुसरे नोटिस दिनांक 29.07.2024 का जवाब दिनांक 01.08.2024 को गैर सायल को पेश किया जिस पर गैर सायल के हस्ताक्षर हैं उस नोटिस के प्राप्त होने के बाद उसके अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि तथाकथित भूमि जो प्रार्थी के कब्जे में है उस पर प्रार्थी अपना पैतृक पुश्तैनी कब्जा बता रहा है तो उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं मौके पर पुराने खड़डरों की जांच ग्राम पंचायत द्वारा करवाई जानी जरुरी थी एवं पुराने कब्जे बाबत् सायल एवं सायल की तरफ से गवाहान के बयान दर्ज किये जाने भी गैर सायल के लिए कानूनन आवश्यक था उपरोक्त कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से प्रस्ताव पारित कर दिया एवं उस प्रस्ताव में प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश के कारण जुर्माना व प्रतिदिन शास्ति का दण्ड भी प्रार्थी को दिया गया जो प्रस्ताव ही गैर कानूनी अवैध व प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध केवल रंजिश वश पारित किया गया है।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02.08.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि तारीख 03.08.2024 से गैर सायल से मांग की जा रही है लेकिन गैर सायल द्वारा टालम टोल की जाकर प्रार्थी को बताया कि ग्राम विकास अधिकारी छुट्टी में है जो तीन चार दिन बाद आने पर प्रस्ताव की प्रति मिलेगी उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी से प्रार्थी द्वारा प्रस्ताव जैर निगरानी की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी तो उन्होंने कहा कि आपको पत्र क्रमांक 137 दिनांक 03.08.2024 का जारी कर दिया है जिस कारण अब प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि आप को नहीं दी सकती है एवं उक्त नोटिस ही प्रस्ताव है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत ढालोप व विकास अधिकारी ने प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 को नहीं दिया जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र क्रंमाक 137/03.08.2024 को पेश किया जा रहा हैं एवं प्रस्ताव की प्रति पेश करने से छूट प्राप्त करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत ढालोप का प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 को अपास्त

अति. जिला कलक्टर (पाली)

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024
उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

किया जावें। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने निगरानी याचिका मात्र काल्पनिक आधार पर प्रस्तुत की है, प्रार्थी भीकाराम ने ग्राम पंचायत ढालोप के गिराली गांव में सादडी नाड़ोल रोड़ पर ग्राम पंचायत की पट्टिया रोपकर एवं ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये आबादी भूमि का बोर्ड हटाकर रात्रि में दिनांक 20.07.2024 को अवैध अतिक्रमण कर सरकारी संपति को नुकसान पहूंचाया है, जिसे हटाने हेतु नियमानुसार प्रार्थी को अप्रार्थी ने नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने पर दिनांक 02.08.2024 को कानूनन विधिक प्रक्रिया के ग्राम पंचायत की बैठक कौरम से सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 02 पारित करते हुए, 1000 रुपये जुर्माना एवं 50 रुपये प्रति दिन शास्ति से प्रार्थी को दंडित करते हुए 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्णय अप्रार्थी ने लिया है, जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा नहीं कर गलत रुपेण आधार दर्शाकर ग्राम पंचायत ढालोप के गिराली गांव की बहुमुल्य किमती आबादी भूमि को अवैध रुप से हड़पने की नियत से गलतरुपेण खातेदारी कृषि भूमि के तथ्य दर्शाकर उक्त निगरानी श्रीमान् के न्यायालय में पेश की है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत आराजी के संबंध में तहसीलदार देसूरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी से संयुक्त रुप से सीमांकन एवं मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार देसूरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2025/79 दिनांक 13.01.2025 द्वारा संयुक्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा को पेश किया। प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नजरी नक्शा की भूमि ग्राम पंचायत ढालोप के खसरा नम्बर 134 में स्थित है उक्त भूमि पर भीकाराम पुत्र चमनाराम जाति चौधरी का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर जोधपुरी पट्टिया लगाकर कब्जा कर रखा है एवं मौके पर उक्त भूमि में पत्थर व जोधपुरी पट्टिया पड़ी हुई ळें

विचाराधीन निगरानी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आबादी भूमि पर हमारा पुश्तैनी कब्जा है एवं प्रश्नगत आराजी के पास में ही हमारी खातेदारी भूमि खसरा न. 133 "बेरा कणेर जाव स्थित है, जिसका सेटलमेंट अधिकारियों ने अधिकारिता से परे जाकर रकबा कर दिया था। यह भी कि, पंचायत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए हमें सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तथा कम अन्तराल पर नोटिस जारी किये। काबिल अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आबादी भूमि खसरा संख्या 134

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024

उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

में जारी अन्य पट्टों में भी पडौस के रुप में हमारा कब्जा अंकित है। लिहाजा, ग्राम पंचायत द्वारा ढालोप के प्रश्नगत प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 को अपास्त किया जाए।

उक्त तर्कों के विरोध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान निवेदन किया कि खसरा संख्या 134 ग्राम पंचायत के स्वामित्वाधीन भूमि है, जिस पर किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही प्रभाव में लाने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है। यह भी कि ग्राम पंचायत को इसी उदेश्य हेतु न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। काबिल अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी प्रस्ताव में कोई वैधानिक त्रुटि नही है, लिहाजा विचाराधीन निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण उपरान्त न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि

1. निगरानीकर्ता का ग्राम गिराली के खसरा न. 134 पर कब्जा है, जो कि ग्राम पंचायत के स्वामित्वाधीन आबादी भूमि है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह प्रमाणित कर सके कि उक्त कब्जा आबाद रहवासी कब्जे के रुप में है तथा जिसे राजस्थान पंचायतीराज नियमों के नियम 157 (पुराने गृहों के विनियमतिकरण) के अन्तर्गत नियमन योग्य है। निगरानीकर्ता ने आलोच्य भू-भाग के नियमितकरण हेतु कोई मिसल या प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज या रसीद इत्यादि प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार है कि अपने स्वामीत्वाधीन भूमि पर किए गए अतिचार के विरुद्ध कार्यवाही प्रभाव में लाए।
2. निगरानीकर्ता का यह तर्क भी आधारहीन है कि उन्हें ग्राम पंचात द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उनके विरुद्ध आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 पारित किया गया। इस संबंध में निगरानी के पैरा संख्या 06 में प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस दिनांक 29.07.2024 का जवाब ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया था, उक्त जवाब भी पत्रावली में सलंग्न है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है।
3. निगरानीकर्ता ने यह दावा किया है कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 133 (गत खसरा नम्बर 48) सेटलमेंट कार्मिकों द्वारा अनाधिकृत ढंग से रकबा कम कर दिया गया। किन्तु निगरानीकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे है, जो यह सिद्ध कर सके उक्त कम किए गए रकबे का भू-भाग वहीं जैर निगरानी भूखण्ड है,

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

पंचायत निगरानी संख्या : 420/2024
उनवान : भीकाराम बनाम ग्राम पंचायत ढालोप व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जिस पर अतिक्रमण मानकर निगरानीकर्ता के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानान्तर्गत सेटलमेण्ट त्रुटि को दुरस्त करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। इस हेतु, प्रार्थी सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी में चाराजोही करे।

उपरोक्त आधारों पर ग्राम पंचायत ढालोप द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 02.08.2024 तथा उसके संबंध प्रस्तावित कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी सारहीन होने से मय स्थगन आदेश (प्रकरण संख्या 421/2024) खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली